

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का यह प्रथम वर्ष है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की ज्यादातर अवधि आर्थिक मंदी के कठिन दौर से गुजरी है, जिसके कारण हमें आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई हुई। मुझे उम्मीद है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में हम इस स्थिति से ऊबर पायेंगे।

2. **बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण तीव्र, सतत् एवं अधिक समावेशी विकास है।** दरअसल प्रारम्भ से ही अंत्योदय हमारा मूल मंत्र रहा है एवं हमने समावेशी विकास को बुनियादी आधारणा के रूप में अंगीकृत किया है। विकास की प्रक्रिया में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने तथा सुदूर अंचलों में निवासरत् अनुसूचित जाति, जनजाति, ग्रामीण तथा शहरी गरीबों, लघु एवं सीमान्त कृषकों को विकास की मुख्य प्रवाह से जोड़ने के लिये अनेक जन कल्याणकारी योजनायें लागू की गई हैं, जिनके उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। अब हमारी रणनीति समावेशी विकास के साथ तीव्र तथा सतत् विकास के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में प्रभावी एवं निर्णायक कदम उठाने की है। **इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये हमने बजट की प्राथमिकतायें तय की हैं एवं कृषि को विशेष महत्व देते हुये पहली बार “कृषि बजट” तैयार किया है।**

3. विगत वर्षों में हमने **“सहस्राब्दी विकास लक्ष्य”** की प्राप्ति पर विशेष जोर दिया है एवं इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2015 तक गरीबी घटाने, शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य में सुधार जैसे इन कठिन लक्ष्यों को हासिल करने के लिये अब हमें नये संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा।

4. प्रशासन को जनमुखी तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हमने 9 नवीन जिले गठित किये हैं। इनमें से 5 जिले अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में हैं।

## आर्थिक स्थिति

5. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालना चाहूँगा। 2004-05 के स्थिर मूल्य पर वर्ष 2011-12 के अग्रिम अनुमान अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 87,723 करोड़ होना अनुमानित है, जो कि वर्ष 2010-11 के 79,166 करोड़ की तुलना में 10.81 प्रतिशत अधिक है। कृषि क्षेत्र में यह वृद्धि 7.35, प्राथमिक क्षेत्र में 6.71, द्वितीयक क्षेत्र में 11.41 तथा सेवा क्षेत्र में 13.54 प्रतिशत अनुमानित है। इस अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 6.9 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इस प्रकार राज्य की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से 57 प्रतिशत अधिक है।

5.1 इसी अवधि में प्रचलित मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,35,536 करोड़ होना अनुमानित है, जो कि वर्ष 2010-11 के 1,17,567 करोड़ की तुलना में 15.28 प्रतिशत अधिक है। इसका मुख्य कारण अच्छी वर्षा से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होना है।

5.2 वर्ष 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 46,573 रुपये होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2010-11 की 41,167 रुपये की तुलना में 13.13 प्रतिशत अधिक है।

5.3 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 31 मार्च, 2012 को पूर्ण हो रही है। इस अवधि में राज्य की आर्थिक विकास दर, निर्धारित लक्ष्य 8.6 प्रतिशत के विरुद्ध 8.4 प्रतिशत होना अनुमानित है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की विकास दर निर्धारित लक्ष्य 1.7 प्रतिशत के विरुद्ध 6.29 प्रतिशत, औद्योगिक विकास दर निर्धारित लक्ष्य 12 प्रतिशत के विरुद्ध 7.18 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र के लिये निर्धारित लक्ष्य 8 प्रतिशत के विरुद्ध 11.17 प्रतिशत होना अनुमानित है।

## भाग – एक

### कृषि

6. प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है एवं इनमें से 76 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषक हैं। विगत 8 वर्षों में हमने कृषि पर लागत को कम करने, खेती को लाभप्रद बनाने एवं किसानों के सर्वांगीण हित में अनेक महत्वाकांक्षी योजनायें प्रारम्भ की हैं, जिनमें 3 प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण सुविधा, 5 हॉर्स पॉवर क्षमतायुक्त सिंचाई पंपों के लिये निःशुल्क बिजली सुविधा, समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजना, अक्ती बीज संवर्धन योजना, बलराम कृषि यांत्रिकीकरण योजना, शाकम्भरी योजना, किसान समृद्धि योजना एवं सिंचाई पंपों का ऊर्जाकरण प्रमुख है।

6.1 राज्य शासन की इन किसानोन्मुखी योजनाओं के सुखद परिणाम मिले हैं। वर्ष 2010-11 में अब तक के सर्वाधिक धान उत्पादन के लिये भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को “कृषि कर्मण पुरस्कार” से पुरस्कृत किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अनाज के उत्पादन में 19 प्रतिशत तथा तिलहन में 46 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इन उपलब्धियों के बावजूद वर्षा आधारित कृषि, छोटे तथा बिखरे हुये कृषि जोत, बढ़ती हुई कृषि लागत, कृषि क्षेत्र में अपर्याप्त पूंजीगत निवेश तथा उन्नत तकनीक का अभाव जैसी समस्याओं का निदान हमारे लिये अभी भी चुनौती बनी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुये कृषि से संबंधित सभी योजनाओं को समग्र रूप से “कृषि बजट” के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. अध्यक्ष महोदय, अब मैं कृषि तथा कृषि से सम्बद्ध क्षेत्र के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत करना चाहूँगा।

7.1 कृषि बजट के लिये कुल 6,244 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि कुल बजट का 17 प्रतिशत है। इसमें कृषि एवं उद्यानिकी के लिये 1,472 करोड़, पशु पालन के लिये 275 करोड़, सहकारिता के लिये 271 करोड़, सिंचाई के लिये 1,848 करोड़, समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन के

लिये 1,452 करोड़, ऊर्जा हेतु 337 करोड़ प्रमुख है। वर्ष 2011-12 में इन योजनाओं के लिये कुल 5,155 करोड़ का प्रावधान था। वर्ष 2012-13 में इसमें 21 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

8. सिंचाई क्षमता में विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

8.1 वर्ष 2012-13 में केलो वृहद परियोजना का कार्य पूर्ण हो जायेगा, जिससे 25,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। इसके लिये 100 करोड़ का प्रावधान है। हसदेव बांगो परियोजना के आधुनिकीकरण तथा विस्तारीकरण के लिये 50 करोड़ का प्रावधान है। बिलासपुर में 625 करोड़ की लागत से अरपा-भैंसाझार वृहद परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जायेगा, जिससे 25 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

8.2 75 करोड़ की लागत से हरदोली मध्यम परियोजना का निर्माण किया जायेगा। इस परियोजना से ढाई हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु बजट में प्रावधान किया गया है।

8.3 156 लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु 491 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे 30 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

8.4 सिंचाई क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से निर्मित 150 एनिकट के जलग्रहण क्षेत्र में सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण हेतु विद्युत लाईन विस्तार के लिये 10 करोड़ का प्रावधान है। इससे 20 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

8.5 सुनिश्चित सिंचाई में वृद्धि हेतु विगत 8 वर्षों में 2 लाख से अधिक सिंचाई पंपों का ऊर्जीकरण किया गया है। अब प्रति पंप कनेक्शन के लिये देय अनुदान राशि 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जायेगा। वर्ष 2012-13 में 21,000 पंपों के ऊर्जीकरण हेतु विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान बाबत 150 करोड़ का प्रावधान है।

8.6 सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना" प्रारम्भ की जायेगी, जिसके अंतर्गत किसानों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जायेगा। इस हेतु 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

9. किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने की दिशा में "समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन" हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजना है। वर्ष 2011-12 में रिकार्ड 59.7 लाख मिट्टिक टन धान का उपार्जन किया जाकर किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 6,537 करोड़ का भुगतान किया गया है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुये हर्ष है कि वर्ष 2011-12 में उपार्जित धान पर 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जायेगा।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2012-13 में मार्कफेड एवं नागरिक आपूर्ति निगम को ऋण तथा अनुदान के रूप में 1,452 करोड़ दिया जायेगा।

10. कृषि लागत को कम करने के उद्देश्य से निम्नानुसार प्रावधान हैं:-

10.1 वर्ष 2008 में हमारी सरकार ने अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज दर को घटाकर 3 प्रतिशत किया था। सदन को यह सूचित करते हुये मुझे प्रसन्नता है कि वर्ष 2012-13 से इसे घटाकर 1 प्रतिशत किया जायेगा। यह सुविधा सहकारी बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों के माध्यम से वितरित अल्पकालीन कृषि ऋण पर लागू होगी। इससे प्रदेश के 17 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इस हेतु 122 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

10.2 वन भूमि अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रदेश के सुदूर अंचलों में निवासरत् 2.16 लाख वनवासियों को अधिकार पत्र प्रदान किये गये हैं। विगत 2 वर्षों में इनमें से 1.16 लाख हितग्राहियों को बीज एवं उर्वरक की आदान सामग्री की सहायता दी जा चुकी है। वर्ष 2012-13 में शेष 1 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क धान बीज एवं उर्वरक की मिनिकिट वितरित की जायेगी। इसके लिये 12.40 करोड़ का प्रावधान है।

10.3 वर्तमान में 5 हॉर्स पॉवर तक सिंचाई पंपों के लिये 6,000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदाय की जा रही है। अब 3 हॉर्स पॉवर पंपों के लिये 6,000 यूनिट एवं 3 से 5 हॉर्स पॉवर तक पंपों के लिये इस सीमा को बढ़ाकर 7,500 यूनिट किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इन पंपों पर फिक्सड चार्जस एवं मीटर किराये में छूट दी जायेगी। इसके लिये 177 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

10.4 प्रचलित किसान समृद्धि योजना में राज्य के वृष्टिछाया क्षेत्र एवं प्राधिकरण क्षेत्र के 114 विकासखंडों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों को नलकूप खनन एवं पंप प्रतिस्थापन पर 40,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, जबकि शेष 32 विकासखंडों में इन्हीं वर्गों के कृषकों को 25,000 रुपये का अनुदान प्राप्त हो रहा है। अब इस योजना में प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को 40,000 रुपये की दर से अनुदान देय होगा। इस हेतु बजट में 22 करोड़ 20 लाख का प्रावधान है।

10.5 कृषि यांत्रिकीकरण की बढ़ती हुई उपयोगिता तथा मांग को ध्यान में रखते हुये आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों को किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिये "कृषि सेवा केन्द्र" योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत कृषि उद्यमियों को बैंक ऋण पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस वर्ष 20 केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2012-13 में 50 नये केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

10.6 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत देय प्रीमियम राशि का 5 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 5 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। कृषकों के प्रीमियम बाबत देय भार को कम करने के लिये राज्य सरकार के अंशदान को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जायेगा। इससे प्रदेश के 24 लाख लघु एवं सीमान्त कृषक लाभान्वित होंगे।

11. कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु निम्नानुसार प्रावधान है :-

11.1 उत्पादकता की वृद्धि में भू-स्वास्थ्य सुधार का विशेष महत्व है। वर्तमान में प्रदेश में 7 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित है। वर्ष 2012-13 में 4 नवीन प्रयोगशालायें स्थापित की जायेंगी।

11.2 मृदा स्वास्थ्य सुधार के उद्देश्य से हरी खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये आगामी खरीफ मौसम में कृषकों को अनुदान पर हरी खाद के बीज उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसके लिये 4.25 करोड़ का प्रावधान है।

11.3 अक्ती बीज संवर्धन योजना के फलस्वरूप ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रमाणित बीज उत्पादन में 234 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुये योजना का निम्नानुसार विस्तार किया जायेगा :-

11.3.1 कृषकों को रियायती दर पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने हेतु बीज उत्पादक किसानों को देय उत्पादन अनुदान 300 रुपये को बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल तथा वितरण अनुदान 200 रुपये को बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जायेगा। इसके लिये 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11.3.2 प्रदेश में दलहन फसलों के क्षेत्राच्छादन अपेक्षाकृत कम है। इसका मुख्य कारण उन्नत बीज की उपलब्धता में कमी है। दलहन बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये बीज उत्पादक किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उत्पादन अनुदान दिया जायेगा।

11.3.3 प्रदेश में बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बीज उत्पादक सहकारी समितियों को उत्पादन तथा वितरण अनुदान दिया जायेगा।

11.4 विगत वर्षों में धान की श्री विधि पर आयोजित प्रदर्शनों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुये हैं। परम्परागत रोपा पद्धति की तुलना में श्री विधि में औसतन 30 प्रतिशत तक अधिक उत्पादन दर्ज किया गया है। इस विधि के क्षेत्र विस्तार हेतु आगामी खरीफ मौसम में 20,000 हेक्टेयर में वृहद प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा, जिसके लिये 7 करोड़ का प्रावधान है।

11.5 राज्य की 70 प्रतिशत कृषि भूमि वर्षा आधारित है। इन क्षेत्रों में शुष्क खेती की आधुनिक तकनीक अपनाते हुये किसानों को खरीफ के साथ-साथ रबी फसल लेने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु 40,000 हेक्टेयर में इस पद्धति का प्रदर्शन किया जायेगा।

11.6 उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर मार्कफेड द्वारा अग्रिम भंडारण किया जाता है। इस हेतु मार्कफेड को 300 करोड़ का ब्याजमुक्त ऋण दिया जायेगा।

11.7 प्राथमिक सहकारी समिति स्तर पर उर्वरक के भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नाबार्ड की सहायता से 700 गोदाम निर्माण किये जायेंगे, जिसके लिये 52 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।

11.8 अनुसूचित जनजाति विकासखंडों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के रूप में विकसित किया जाएगा इस हेतु 8 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

12. उद्यानिकी विकास के लिये निम्नानुसार नवीन योजनायें प्रारम्भ की जायेंगी :-

12.1 नदी के कछार एवं तटों पर खेती करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति तथा लघु एवं सीमान्त सब्जी उत्पादकों को उन्नत उद्यानिकी तकनीक की जानकारी देने एवं प्रोत्साहित करने हेतु प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे।

12.2 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में कृषकों की बाड़ी में सब्जी की खेती हेतु टपक सिंचाई योजना के अंतर्गत इकाई लागत का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

13. उन्नत कृषि तकनीक के प्रसार तथा अनुसरण में कृषि विज्ञान केन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जिला स्तर पर 18 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित हैं। वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गरियाबंद एवं बलरामपुर जिले में नवीन कृषि विज्ञान केन्द्र प्रारंभ किये जायेंगे।



13.1 राज्य में 9 शासकीय कृषि महाविद्यालय संचालित हैं। वर्ष 2012-13 में भाटापारा में नवीन कृषि महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा।

14. पशुधन के संरक्षण एवं विकास हेतु हमारी सरकार निरन्तर प्रयासरत् है। इस दिशा में निम्नानुसार नवीन योजनायें प्रारम्भ की जायेंगी :-

14.1 इस बजट में पशु चिकित्सा एवं प्रजनन सुविधा के विस्तार हेतु 25 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना एवं 15 पशु औषधालय का पशु चिकित्सालय में उन्नयन किया जायेगा, जिसके लिये 3 करोड़ का प्रावधान है।

14.2 गौ-वंशीय तथा भैंस-वंशीय पशुओं के नस्ल सुधार के उद्देश्य से नवीन योजना प्रारम्भ की जायेगी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण युवकों को "प्रायवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता" का प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उन्हें उपकरण किट प्रदान किया जायेगा। इससे दूरस्थ अंचलों में पशु पालकों को कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा।

14.3 प्रदेश के पशु पालकों के कौशल उन्नयन हेतु देश की प्रमुख संस्थाओं में भ्रमण कराया जाकर प्रगतिशील कृषकों से परिचर्चा भी आयोजित की जायेगी। इस हेतु 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

14.4 राज्य की गौ शालाओं में पशुओं के रख-रखाव हेतु गौ सेवा आयोग के माध्यम से अनुदान वितरण किया जाता है। इस मद में प्रचलित अनुदान राशि 80 लाख को बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया है।

14.5 पशु पालकों में उद्यमिता विकास प्रोत्साहन हेतु डेयरी, बकरी एवं मुर्गी पालन के लिये नाबार्ड पोषित योजनांतर्गत स्वीकृत ऋण पर भारत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 33 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। योजनांतर्गत ऋणभार को कम करने के उद्देश्य से राज्य शासन की ओर से केन्द्र शासन के बराबर क्रमशः 25 एवं 33 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। इसके लिये 11 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया है।

14.6 उन्नत नस्ल की बकरी प्रजनन हेतु ग्राम रामपुर, जिला कबीरधाम में नवीन "बकरी पालन प्रक्षेत्र" की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 1 करोड़ 76 लाख का प्रावधान किया गया है।

14.7 पशुधन से संबंधित शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी शिक्षण सत्र से कामधेनु विश्वविद्यालय प्रारम्भ किया जायेगा।

15. मत्स्य पालन के लिये निम्नानुसार नवीन योजनायें प्रारम्भ की जायेंगी :-

15.1 वर्तमान में प्रदेश के जलाशयों में फिंगरलिंग संचय किया जा रहा है। इससे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मत्स्य उत्पादन में 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मत्स्य उत्पादन के राष्ट्रीय औसत 69 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर की तुलना में प्रदेश का औसत उत्पादन 125 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर है। वर्ष 2012-13 में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित एनिकटों के जल संग्रहण क्षेत्र में फिंगरलिंग संचयन किया जायेगा एवं स्थानीय मछुआरों की सहकारी समितियाँ बनाकर उन्हें मत्स्याखेट अधिकार दिया जायेगा।

15.2 मत्स्य बीज उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिये पट्टेधारी बी.पी.एल. मछुआरों को रियायती दर पर फिंगरलिंग उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु 1 करोड़ 10 लाख का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि किसानों की खुशहाली से ही प्रदेश की खुशहाली संभव है। निम्न पंक्तियों के साथ मैं कृषि बजट किसानों को समर्पित करता हूँ :-

“जब खुशहाली छलकेगी, खेतों में खलिहानों में,  
तभी भरेंगे रंग सुनहरे, हम सबके अरमानों में।  
जो धरती मां के सीने पर, वैभव की गाथा लिखता है,  
उसी किसान का वंदन होगा, नवयुग के वेद पुराणों में।”

## भाग-दो

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मुख्य बजट की योजनाओं को सदन के समक्ष रखना चाहूँगा।

### शिक्षा

16. शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक 5,301 करोड़ का प्रावधान है, जो कि कुल बजट का 14 प्रतिशत है। इसमें केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्यांश के रूप में सर्व शिक्षा अभियान के लिये 933 करोड़, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हेतु 257 करोड़, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु 186 करोड़ सम्मिलित है।

16.1 शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में प्रदेश के प्रत्येक बसाहट के 1 किलो मीटर की परिधि में प्राथमिक तथा 3 किलो मीटर की परिधि में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की नीति के अनुरूप अब तक 33,000 प्राथमिक एवं 13,520 पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये गये हैं एवं शाला भवनों की शत-प्रतिशत पूर्ति की जा चुकी है। बच्चों की दर्ज संख्या में वृद्धि के कारण वर्ष 2012-13 में 3,000 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण किया जायेगा।

16.2 शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 1,45,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिसके फलस्वरूप छात्र शिक्षक अनुपात अब 25 छात्रों के लिये 1 शिक्षक हो गया है, जो कि राष्ट्रीय मापदंड 30 छात्रों पर 1 शिक्षक से बेहतर है।

16.3 शिक्षा के अधिकार कानून के क्रियान्वयन के लिए "छत्तीसगढ़ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010" लागू किया गया है एवं इसके अंतर्गत कक्षा एक से आठवीं तक सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, बी.पी.एल. एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को निःशुल्क गणवेश एवं सभी विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है। इन प्रयासों से छात्रों की शाला प्रवेश दर बढ़कर 98 प्रतिशत तथा शाला त्याग दर घटकर 1.5 प्रतिशत रह गई है।

16.4 हमारी सरकार की नीति प्रत्येक बसाहट के 5 किलो मीटर की परिधि में हाई स्कूल तथा 7 किलो मीटर की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने की है। इस दिशा में चरणबद्ध रूप में पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूलों में तथा हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया जा रहा है। **बजट में 200 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन हेतु 24 करोड़ का प्रावधान है।**

16.5 हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में हाई स्कूल की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान करने का निर्णय लिया था। माध्यमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण को ध्यान में रखते हुए **बालिकाओं के साथ-साथ हाई स्कूल के बालकों को भी अब निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करायी जायेगी।**

16.6 वर्ष 2004-05 में हमने हाई स्कूल की बालिकाओं के लिये **“सरस्वती सायकल योजना”** लागू की थी। इसके फलस्वरूप ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में हाई स्कूल स्तर पर बालिकाओं की दर्ज संख्या में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं छात्र-छात्रा का दर्ज अनुपात में अंतर कम हुआ है। पूर्व में यह अनुपात 55 छात्र – 45 छात्रा था, जो अब 51 छात्र – 49 छात्रा हो गया है। **योजना की सफलता को देखते हुए अब शासकीय हाई स्कूल के साथ-साथ अनुदान प्राप्त अशासकीय हाई स्कूल की छात्राओं को भी निःशुल्क सायकल प्रदान की जायेगी।**

16.7 वर्ष 2012-13 में 100 नवीन हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन, 10 कन्या छात्रावास भवन तथा दूरस्थ अंचलों में 40 शिक्षक आवास गृहों का निर्माण किया जायेगा।

16.8 प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं नारायणपुर में 500 सीटर 58 आवासीय विद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 26,000 बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

16.9 बारहवीं पंचवर्षीय योजना में “गुणवत्ता के साथ शिक्षा का विस्तार” पर जोर दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुये शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन हेतु विशेष योजना लागू की जायेगी।

17. प्रदेश में 20 पॉलीटेक्निक तथा 108 आई.टी.आई. स्थापित किये जा चुके हैं। तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु वर्ष 2012-13 में बलौदा बाजार में नवीन पॉलीटेक्निक तथा कोरिया जिले के जनकपुर, सूरजपुर जिले के रामानुज नगर, राजनांदगांव जिले के टेडेसरा, दुर्ग जिले के दल्लीराजहरा, धमतरी जिले के मेघा, जांजगीर जिले के हसौद तथा जांजगीर में नवीन आई.टी.आई. एवं दुर्ग में महिला आई.टी.आई. स्थापित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त राजनांदगांव में जन-निजी भागीदारी मॉडल पर आई.आई.आई.टी. प्रारंभ किया जायेगा।

17.1 बजट में 5 पॉलीटेक्निक तथा 17 आई.टी.आई. भवन निर्माण हेतु 23 करोड़ का प्रावधान है। रायगढ़, कांकेर, कोरबा एवं अंबिकापुर में रोजगार कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ 70 लाख का प्रावधान है।

18. उच्च शिक्षा में विस्तार करते हुए कोरिया जिले के पटना, जशपुर जिले के आरा, सरगुजा जिले के प्रेमनगर, बलरामपुर जिले के शंकरगढ़, बिलासपुर जिले के कोतरी, धमतरी जिले के मगरलोड, दुर्ग जिले के कोरी, महासमुंद जिले के बलौदा तथा बेमेतरा में नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे।

18.1 उच्च शिक्षा हेतु तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के लिये “मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना” लागू की जा रही है। इस योजनांतर्गत 2 लाख रुपये तक वार्षिक आय वर्ग के पालकों के बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु 4 प्रतिशत के रियायती ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

## अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण

19. अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु विभाग के बजट में 17 प्रतिशत वृद्धि की जाकर 3,080 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

19.1 विगत 8 वर्षों में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में 447 आश्रम शालायें एवं 737 छात्रावास स्थापित किये गये हैं। इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये इस बजट में अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिये 21 तथा अनुसूचित जाति छात्रों के लिये 8 नवीन आश्रम शालायें प्रारम्भ करने हेतु प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिये 30, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये 16 एवं पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिये 10 नवीन छात्रावास खोलने बाबत प्रावधान है। वर्तमान में संचालित 60 छात्रावासों में 1,840 सीट वृद्धि की जायेगी।

19.2 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में संचालित 100 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया जायेगा।

19.3 नक्सल प्रभावित जिलों के छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु जगदलपुर एवं दुर्ग में 500-500 सीटर बालक एवं बालिका "आवासीय विज्ञान एवं वाणिज्यिक शिक्षण केन्द्र" स्थापित किये जायेंगे।

19.4 30 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 6 करोड़ तथा 10 छात्रावास भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।

19.5 अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों के निःशुल्क एयर क्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 1 करोड़ 5 लाख का प्रावधान है।

## स्वास्थ्य

20. स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के लिये बजट में 1,344 करोड़ का प्रावधान है, जो कि वर्ष 2011-12 के प्रावधान की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।

20.1 मानव संसाधन विकास में शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी सूचकांकों में सुधार का विशेष महत्व है। इस दिशा में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत सरकार द्वारा 2010 में कराये गये वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2005 से 2010 की अवधि में राज्य में शिशु मृत्यु दर में 19 प्रतिशत तथा मातृ मृत्यु दर में 18 प्रतिशत की कमी हुई है। लेकिन सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्ति के लिये शिशु मृत्यु दर को 51 से 30 प्रति हजार जन्म तथा मातृ मृत्यु दर को 269 से 100 प्रति 1 लाख प्रसव तक लाना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति कठिन अवश्य है, लेकिन विगत 8 वर्षों में प्राप्त सफलता के आधार पर हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये आशावान एवं दृढ़ संकल्पित हैं। इस हेतु स्वास्थ्य संबंधी अधोसंरचना तथा मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिये बजट में विशेष प्रावधान किये गये हैं।

20.2 राज्य में विगत पांच वर्षों में **संस्थागत प्रसव 18 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है**। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु राज्य के 20 अस्पतालों में पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है। **आगामी वित्तीय वर्ष में 20 अतिरिक्त केन्द्र स्थापित किए जायेंगे**।

20.3 हमारी सरकार द्वारा बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किया गया है एवं इस दिशा में राष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप पर्याप्त संख्या में उप-स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालयों की स्थापना की जा चुकी हैं। **प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखते हुए इस बजट में 50 नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र, 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु 16 करोड़ का प्रावधान है**। इसके अतिरिक्त नव गठित 9 जिलों के मुख्यालय में जिला अस्पताल की स्थापना की जाएगी।

20.4 स्वास्थ्य संबंधी अधोसंरचना के सुदृढीकरण के लिए हमने निरंतर प्रयास किए हैं। **बजट में 8 जिला अस्पताल भवन, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 100 उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवनों,**

10 आयुष औषधालय भवन के निर्माण हेतु 36 करोड़ का प्रावधान है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इसके फलस्वरूप प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 90 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 85 प्रतिशत उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवनों की पूर्ति हो जावेगी।

20.5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24 लाख बी.पी.एल. एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक परिवारों को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान की जा रही है। मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष है कि हमने खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ अब स्वास्थ्य सुरक्षा के लोकव्यापीकरण के उद्देश्य से राज्य के सभी परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। इस हेतु "मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना" प्रारंभ की जायेगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो पंक्तियाँ सदन के सामने रखना चाहूँगा :-

"नेक कामों से बनाता है बशर अपना मुकाम  
जनम से जहां में कोई देवता नहीं होता।"

20.6 राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित "108-संजीवनी एक्सप्रेस" एम्बुलेंस सेवा प्रदेश के सभी विकासखंडों में प्रारंभ की गई हैं। प्रदेश में अब तक लगभग 1 लाख मरीज इस सुविधा से लाभान्वित हुए हैं।

20.7 राज्य के वनांचलों में मलेरिया के प्रकोप में कमी लाने की दृष्टि से विगत दो वर्षों में 10 लाख कीटनाशक उपचारित मच्छरदानियों का वितरण किया गया है। वर्ष 2012-13 में 5 लाख मच्छरदानियां वितरित की जायेंगी, जिसके लिये 15 करोड़ का प्रावधान है।

20.8 ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप प्रदेश के सभी 11 नगर पालिक निगम क्षेत्रों में निवासरत् गरीबों तथा मलिन बस्तियों के रहवासियों को बेहतर स्वास्थ्य



सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु “मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम” प्रारंभ किया जायेगा। इस योजनांतर्गत शहरी मलिन बस्तियों के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाएंगे तथा ए.एन.एम. व मितानिन के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण व उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

20.9 जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दिवंगतों के शवों को उनके निवास स्थान तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क शव-वाहन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

20.10 प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधा का विस्तार करने के उद्देश्य से बिलासपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राजनांदगांव एवं दुर्ग में 50 सीटर नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

20.11 प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने हेतु 36 करोड़ 75 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत रायपुर मेडिकल कालेज में न्यूरो सर्जरी, स्टेम सेल थैरेपी तथा एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं प्रारंभ की जायेंगी तथा ब्लड बैंक का आधुनिकीकरण किया जायेगा।

## खाद्य सुरक्षा

21. हमारे द्वारा प्रारम्भ की गई “मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना” की राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई है एवं अन्य राज्यों में इस योजना का अनुकरण किया गया है। बजट में इस हेतु 700 करोड़ का प्रावधान है।

21.1 इस वर्ष हमने खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ सुपोषण हेतु अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तर संभाग में बी.पी.एल. परिवारों को रियायती दर पर चना उपलब्ध कराने की योजना लागू की है। वर्ष 2012-13 में इस योजना का विस्तार करते हुये सरगुजा संभाग में भी लागू किया जायेगा। इससे 10 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इसके लिये 40 करोड़ का प्रावधान है।

21.2 उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्नों के संग्रहण तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रायपुर के अतिरिक्त दुर्ग, भिलाई एवं बिलासपुर में 350 दुकान सह गोदाम निर्माण किये जायेंगे। इस हेतु 35 करोड़ का प्रावधान है।

## महिला एवं बाल विकास

22. महिलाओं में रक्ताल्पता एवं शिशुओं में कुपोषण में सुधार हमारे लिये सबसे बड़ी चुनौती है। इसे ध्यान में रखते हुये विभागीय बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2012-13 के लिये 1,015 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

22.1 वर्ष 2005 के राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार राज्य के बच्चों में कुपोषण की दर 61 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत तथा महिलाओं में रक्ताल्पता 68.7 प्रतिशत से घटकर 57.5 प्रतिशत हो गयी है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सूचकांकों में सुधार की दिशा में हमने लगातार प्रयास किये हैं, जिसके परिणाम आगामी सर्वे में परिलक्षित होंगे। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार वर्ष 2015 तक इसे क्रमशः 27.4 एवं 29 प्रतिशत तक लाना है। इस लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रदेश में “न्यूट्रीशन सर्वेलेंस कार्यक्रम” लागू किया गया है, जिसके माध्यम से कुपोषित बच्चों की ग्रामवार पहचान की जाकर उनका सुपोषण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस उद्देश्य से पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 361 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष से पंचायतों, स्वसहायता समूह तथा स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता से बच्चों में कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से “नवा जतन योजना” प्रारंभ की गई है।

22.2 महिलाओं की सुरक्षा एवं अस्मिता की रक्षा हेतु “घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम” के प्रावधानों के अधीन पीड़ित महिला को चिकित्सा, आश्रय एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए “नवा बिहान” योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए इस बजट में 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है।

22.3 प्रदेश में महिला एवं बाल विकास सेवाओं का लोकव्यापीकरण किया जाकर प्रत्येक बसाहट स्तर पर 50,311 आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित किये गये हैं। अब तक राज्य में लगभग 29,000 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्मित किये जा चुके हैं। इस बजट में 1,133 आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु 51 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

22.4 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये संचालित “मुख्यमंत्री कन्यादान योजना” के लिये रुपये 5 करोड़ का प्रावधान है।

### समाज कल्याण

23. हमारी सरकार समाज के कमजोर एवं वृद्ध नागरिकों को आर्थिक संबल उपलब्ध कराने के लिये कृतसंकल्पित है। इस उद्देश्य से अनेक योजनायें संचालित की जा रही हैं।

23.1 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत 182 करोड़ एवं विधवा महिलाओं के लिये संचालित पेंशन योजनांतर्गत 32 करोड़ 74 लाख का प्रावधान किया गया है।

23.2 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत 14 करोड़ 31 लाख एवं निःशक्तजन की पेंशन के लिये 6 करोड़ 69 लाख का प्रावधान किया गया है।

### पेयजल

24. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बजट में 13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 521 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

24.1 हमने सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2011-12 के बजट में बस्तर एवं सरगुजा संभाग के 9 जिलों में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु 9 चलित प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया था। वर्ष 2012-13 में 9 और जिलों में प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु 1 करोड़ 35 लाख का प्रावधान किया गया है।

24.2 26 नवीन नगरीय जल प्रदाय योजनाओं हेतु 19 करोड़ 75 लाख, 11 समूह तथा 3 ग्रामीण नलजल योजनाओं हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

24.3 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यांश के रूप में 117 करोड़ तथा समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल, नलकूप खनन, स्पॉट सोर्स आदि योजनाओं हेतु 86 करोड़ का प्रावधान है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय हेतु 95 करोड़ का प्रावधान है।

24.4 शालाओं में पेयजल तथा शौचालय व्यवस्था हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

## वन

25. वन विभाग के लिये बजट में 1,021 करोड़ का प्रावधान है, जो कि वर्ष 2011-12 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।

25.1 प्रदेश का 44 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु चालू वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इस बजट में 1,021 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

25.2 बिगड़े वनों के सुधार हेतु 110 करोड़, बांस वनों के पुनरोद्धार हेतु 49 करोड़, वन मार्गों पर रपटा पुलिया निर्माण हेतु 22 करोड़, वन क्षेत्रों में भू-जल एवं जल संरक्षण हेतु 21 करोड़ 50 लाख एवं तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान बाबत 102 करोड़ 78 लाख का प्रावधान इस बजट में प्रावधान है।

25.3 राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका वितरण हेतु 15 करोड़ तथा इन परिवारों के सदस्यों के समूह बीमा हेतु 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

25.4 नया रायपुर क्षेत्र में जंगल सफारी की स्थापना की जाएगी। सफारी के संचालन हेतु बजट में 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

## आवास एवं पर्यावरण

26. प्रदेश के विकासखण्ड स्तर पर कमजोर वर्गों के लिए आवास निर्माण हेतु अटल विहार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में राज्य शासन के अंशदान के रूप में 50 करोड़ का प्रावधान है।

26.1 नया रायपुर में अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए रात्रि विश्राम गृह का निर्माण तथा आंतरिक सड़कों में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है।

## पंचायत एवं ग्रामीण विकास

27. पंचायत एवं ग्रामीण विकास के बजट में 66 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वर्ष 2012-13 के लिये 3,301 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

27.1 इस वर्ष से "मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना" प्रारंभ की गई है। आगामी 2 वर्षों में इस योजनांतर्गत 4,000 किलो मीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जायेगा। वर्ष 2012-13 में इस हेतु 750 करोड़ का प्रावधान है। इससे ग्रामीण बसाहटों को पक्की सड़क के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।

27.2 प्रदेश के ग्रामों की मुख्य आंतरिक सड़क को सीमेंट कांक्रीट सड़क के रूप में विकसित करने के लिए "मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना" प्रारंभ की जायेगी। प्रथम चरण में 1,000 गांवों में योजना क्रियान्वित की जायेगी एवं इसके लिए इस बजट में 250 करोड़ का प्रावधान है।

27.3 बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के तर्ज पर राज्य के सामान्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु "छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण" का गठन किया गया है। इस हेतु बजट में 50 करोड़ का प्रावधान है।

27.4 महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन योजना तथा इंदिरा आवास योजनांतर्गत राज्यांश के रूप में 358 करोड़ का प्रावधान है।

27.5 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण हेतु बजट में 186 करोड़ का प्रावधान है।

27.6 मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, ग्राम विकास योजना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत कुल 180 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान के रूप में 180 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

27.7 त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को देय मानदेय में पर्याप्त वृद्धि की जा रही है। पूर्व में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सदस्यों को मानदेय दिये जाने का प्रावधान नहीं था, अब उन्हें भी मानदेय दिया जायेगा।

## लोक निर्माण

28. इस बजट में लोक निर्माण मद में 3,116 करोड़ का प्रावधान है, जो कि वर्ष 2011-12 की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है। इसमें नवीन निर्माण हेतु 2,186 करोड़ तथा अनुरक्षण मद में 930 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

28.1 राज्य राजमार्ग के उन्नयन हेतु 86 करोड़, मुख्य जिला सड़कों के उन्नयन बाबत 76 करोड़ तथा अन्य जिला सड़कों के उन्नयन हेतु 33 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 12 रेल्वे ओव्हर ब्रिज, 13 रेल्वे अंडर ब्रिज के निर्माण हेतु 17 करोड़ तथा 84 पुलों के निर्माण के लिए 36 करोड़ का प्रावधान है।

28.2 एशियन डेव्हलपमेंट बैंक की सहायता से आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के 1,500 किलो मीटर राज्य राजमार्ग तथा मुख्य जिला मार्ग का उन्नयन किया जायेगा, जिसके लिए इस बजट में 200 करोड़ का प्रावधान है।

28.3 नाबार्ड की सहायता से 161 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जायेगा, जिसके लिए 300 करोड़ का प्रावधान है।

28.4 नव-गठित चार जिले सूरजपुर, बलरामपुर, कोंडागांव तथा गरियाबंद में शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस बजट में शेष पांच जिलें बलौदा बाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली एवं सुकमा तथा जगदलपुर में ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण के लिए 3 करोड़ का प्रावधान है।

### नगरीय विकास

29. नगरीय विकास के लिए इस बजट में 1972 करोड़ का प्रावधान है, जो कि वर्ष 2011-12 के प्रावधान की तुलना में 48 प्रतिशत अधिक है।

29.1 प्रदेश के नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास हेतु 600 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें 250 करोड़ ऋण तथा 350 करोड़ अनुदान सम्मिलित है। इस मद के अंतर्गत सड़क, अश्लिष्ट निकासी एवं प्रबंधन तथा पेयजल सुविधा का विस्तार संबंधी कार्य किये जायेंगे।

29.2 प्रदेश के नवगठित जिला मुख्यालयों के मुख्य मार्ग को गौरव पथ के रूप में विकसित किया जायेगा।

29.3 प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "भागीरथी नल जल योजना" प्रारंभ की गई है। इस योजना से 5 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इस योजना पर 5 वर्षों में 150 करोड़ व्यय होगा जिसका 80 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को अनुदान के रूप में देय होगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बजट में 24 करोड़ 43 लाख का प्रावधान है।

29.4 रायपुर, बिलासपुर, भिलाई एवं कोरबा में "राजीव आवास योजना" संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत इन शहरों को आगामी 5 वर्षों में झुग्गी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है एवं इसे 1 लाख 40 हजार गरीब परिवारों को अधोसंरचना

सहित पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। इस बजट में राज्यांश के रूप में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

29.5 प्रदेश की राजधानी रायपुर, नया रायपुर, समीपस्थ टिवन सिटी भिलाई—दुर्ग एवं राजनांदगांव भविष्य में एक महानगर के रूप में विकसित होगा। इसे ध्यान में रखते हुए त्वरित यातायात व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर से राजनांदगांव तक मेट्रो रेल के सर्वेक्षण कार्य हेतु इस बजट में 1 करोड़ का प्रावधान है।

### उद्योग एवं ग्रामोद्योग

30. वर्ष 2009 से लागू नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योगों को ब्याज एवं लागत पूंजी अनुदान के लिए 54 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नये औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु 25 करोड़ का प्रावधान है।

30.1 हमारे राज्य के हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों द्वारा तैयार की गई सामग्री की ख्याति विश्वव्यापी है। हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2012—13 के बजट में **हस्तशिल्प सिटी की स्थापना हेतु 50 लाख**, राज्य में कंबल प्रोसेसिंग इकाई प्रारंभ करने हेतु 1 करोड़ 3 लाख तथा ग्रामीण हस्तशिल्प डिजाइन विकास संस्थान की स्थापना के लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

30.2 राज्य के मिट्टी शिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु माटी बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है।

### श्रम

31. असंगठित कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये संचालित विभिन्न योजनाओं के लिये **वर्तमान प्रावधान 5 करोड़ को बढ़ाकर 7 करोड़ किया गया है।**



31.1 संगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु श्रम कल्याण निधि का गठन किया गया है। इस निधि में राज्य शासन की ओर से देय प्रति श्रमिक अंशदान की प्रचलित दर 36 रुपये में 150 प्रतिशत वृद्धि करते हुये 90 रुपये प्रति श्रमिक, प्रति वर्ष किया गया है।

## ऊर्जा

32. वर्ष 2012-13 में राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की उत्पादन क्षमता में 1,500 मेगावॉट की वृद्धि संभावित है। इसी प्रकार पारेषण तथा वितरण कंपनियों द्वारा अधोसंरचना का उन्नयन एवं सुदृढीकरण किया जा रहा है। **विद्युत कंपनियों की अंशपूँजी में राज्य शासन के धनवेष्टन बाबत 400 करोड़ का प्रावधान है।**

32.1 एकल बत्ती विद्युत कनेक्शन योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान में 44 प्रतिशत वृद्धि करते हुये 86 करोड़ 39 लाख का प्रावधान किया गया है। इससे 12 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

32.2 नगरीय क्षेत्र में विद्युत अधोसंरचना के विस्तार हेतु **“मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना”** प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये 25 करोड़ का प्रावधान है।

## संस्कृति एवं पर्यटन

33. छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य से आयोजित किये जाने वाले सांस्कृतिक उत्सव एवं मेले के लिये 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

33.1 राज्य स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय के लिये 2 करोड़ 42 लाख एवं पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय के विकास के लिये 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के सर्वेक्षण तथा उत्खनन हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है।

33.2 पर्यटन स्थलों के विकास हेतु छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विकास मंडल को अनुदान के रूप में 36 करोड़ 20 लाख तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्य शासन के अंशदान के रूप में 20 करोड़ का प्रावधान है।

### खेल एवं युवक कल्याण

34. राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली सफलताओं से अन्य खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है। राज्य में खेल गतिविधियों के विस्तार हेतु अधोसंरचना का विकास किया गया है। इसी क्रम में साईंस कॉलेज परिसर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माण हेतु 1 करोड़ तथा जांजगीर-चांपा में स्टेडियम निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है।

34.1 प्रदेश में विकासखंड स्तर से राज्य स्तर तक खेल महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। इसके लिये 3 करोड़ का प्रावधान है।

### राजस्व प्रशासन

35. राजस्व अभिलेखों के समुचित संधारण एवं त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिलों के मिसल अभिलेखों का डिजीटीकरण किया जायेगा। इस हेतु बजट में 5 करोड़ का प्रावधान है।

35.1 प्रदेश में 14 नवीन राजस्व अनुविभाग तथा पटवारी के 650 अतिरिक्त पद सृजित किये जायेंगे।

35.2 राज्य में नवगठित 9 जिलों में 108 करोड़ की लागत से कम्पोजिट कार्यालय भवन निर्माण किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त इन जिलों में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना हेतु वर्ष 2011-12 में 949 पद सृजित किये गये हैं एवं इस बजट में 2,645 पद शामिल किये गये हैं।

### पुलिस एवं जेल प्रशासन

36. गृह विभाग के बजट में 21 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 1,862 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

36.1 पिछले 8 वर्षों में पुलिस बल में 38,000 की वृद्धि की गई है। वर्ष 2012-13 में 2 "विशेष भारत रक्षित वाहिनी" के गठन सहित 3,500 नवीन पदों का सृजन किया जायेगा।

36.2 वर्ष 2012-13 में 3 नवीन पुलिस थाना तथा 3 नवीन पुलिस चौकी स्थापित की जायेगी।

36.3 वर्ष 2012-13 में 20 पुलिस थाना भवन तथा 650 पुलिस आवास गृह का निर्माण किया जायेगा।

36.4 जेलों में सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु 25 जेलों में एक्सरे बैगेज स्कैनर सिस्टम स्थापित किये जायेंगे।

36.5 8 जेलों में विडियो काफ्रेंसिंग की व्यवस्था तथा क्लोज सर्किट टी.वी. स्थापित किये जायेंगे।

### न्याय प्रशासन

37. राज्य में त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिये रायगढ़, सूरजपुर, अंबिकापुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर, दुर्ग एवं रायपुर में एक-एक तथा बिलासपुर जिले में तीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, जशपुर में कुटुम्ब न्यायालय, बलरामपुर एवं राजपुर में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 न्यायालय तथा नवगठित 9 जिलों में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय की स्थापना की जायेगी।

37.1 विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु 8 मोबाईल क्लीनिक प्रारंभ किये जायेंगे।

## कर्मचारी कल्याण

38. हमारी सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु दृढ़ संकल्पित है। सदन को यह अवगत कराते हुये मुझे प्रसन्नता है कि वर्ष 2012-13 में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा दिये जा रहे मंहगाई भत्ता के अंतर को समाप्त किया जायेगा।

38.1 संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के संविदा वेतन में वृद्धि की जायेगी।

38.2 आगामी वित्तीय वर्ष से राज्य के पंचायत शिक्षकों को भी नवीन अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया जायेगा।

## वर्ष 2011-12 का पुनरीक्षित अनुमान

39. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2011-12 के पुनरीक्षित बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा :-

39.1 वर्ष 2011-12 में कुल व्यय 30,725.96 करोड़ अनुमानित था, जो कि पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर 32,747.46 करोड़ संभावित है। यह वृद्धि मुख्यतः पेंशन पुनरीक्षण बाबत् 281.65 करोड़, विद्युत कंपनियों के अंशपूजी में राज्य शासन के धनवेष्टन बाबत् 900 करोड़ तथा केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदान में 694.89 करोड़ वृद्धि के कारण है।

39.2 राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 25,809.90 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 27,708.30 करोड़ है। राजस्व प्राप्ति में यह वृद्धि, राज्य के कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं केन्द्रीय अनुदान में वृद्धि के कारण है।

39.3 वर्ष 2011-12 के बजट में अनुमानित राजस्व आधिक्य 1,348.13 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 2,140.61 करोड़ है। बजट में सकल वित्तीय घाटा 3,819.79 करोड़ अनुमानित था, जो कि पुनरीक्षित अनुमान में घटकर 3,786.08 करोड़ होगा। पुनरीक्षित अनुमान में सकल वित्तीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 2.79 प्रतिशत है, जो कि राजकोषीय

उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत से कम है।

### **वर्ष 2012-13 का बजट अनुमान**

40. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2012-13 के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ :-

40.1 वर्ष 2012-13 के लिये अनुमानित कुल व्यय 37,573.61 करोड़ है, जिसमें आयोजना व्यय 21,931.19 करोड़ तथा आयोजनेत्तर व्यय 15,642.42 करोड़ है। वर्ष 2011-12 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2012-13 का कुल व्यय 15 प्रतिशत अधिक है। आयोजना व्यय में यह वृद्धि 16 प्रतिशत तथा आयोजनेत्तर व्यय में 14 प्रतिशत अनुमानित है।

40.2 वर्ष 2012-13 में आयोजना व्यय, कुल व्यय का 58 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि वर्ष 2011-12 में यह 56 प्रतिशत था। कुल आयोजना व्यय के अनुमान 21,931.19 करोड़ में केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनांतर्गत 396.17 करोड़ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत 1274.86 करोड़, कुल 1671.03 करोड़ व्यय सम्मिलित है। राज्य का प्रति व्यक्ति आयोजना व्यय 8,600 रुपये अनुमानित है।

40.3 वर्ष 2012-13 में राज्य आयोजना व्यय 20,260.16 करोड़ अनुमानित है, जो कि वर्ष 2011-12 के पुनरीक्षित अनुमान 17,237.04 करोड़ की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। राज्य आयोजना व्यय में केन्द्रीय सहायता 2,973.98 करोड़ शामिल है तथा शेष 17,286.18 करोड़ राज्य के स्वयं के संसाधन से उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार राज्य आयोजना का 85 प्रतिशत स्वयं के संसाधन से पोषित है।

40.4 राज्य आयोजना में सामान्य क्षेत्र के लिये 54.78 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिये 34 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिये 11.22 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

40.5 वर्ष 2012-13 में पूंजीगत व्यय 7,189.89 करोड़ अनुमानित है, जो कि वर्ष 2011-12 के पुनरीक्षित अनुमान 5,844.13 करोड़ की तुलना

में 23 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय, कुल व्यय का 19 प्रतिशत एवं सकल घरेलू उत्पाद का 4.38 प्रतिशत अनुमानित है।

40.6 वर्ष 2011-12 के पुनरीक्षित अनुमान 13,762.68 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 15,631.14 करोड़ अनुमानित है। इसमें वेतन भत्ते हेतु 6,318.72 करोड़, पेंशन हेतु 2,185.00 करोड़, ब्याज भुगतान हेतु 1,342.54 करोड़, विभिन्न योजनाओं हेतु आर्थिक सहायता के रूप में 372.61 करोड़ तथा विभिन्न संस्थाओं को अनुदान हेतु 2,687.64 करोड़ शामिल है। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू किये जाने के फलस्वरूप वेतन भत्ते तथा पेंशन मद् में अतिरिक्त राशि के प्रावधान के कारण है।

40.7 वर्ष 2012-13 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिये 41 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिये 39 प्रतिशत एवं सामान्य क्षेत्र के लिये 20 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

40.8 वर्ष 2012-13 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियां 31,378.64 करोड़ अनुमानित है, जो कि पुनरीक्षित अनुमान 2011-12 की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। कुल राजस्व में राज्य का स्वयं का राजस्व 17,521.15 करोड़ एवं केन्द्र सरकार से प्राप्तियां 13,857.49 करोड़ है। राज्य के स्वयं के राजस्व में 17 प्रतिशत एवं केन्द्रीय प्राप्तियों में 9 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। राज्य के कर राजस्व में 16 प्रतिशत तथा करेत्तर राजस्व में 18 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

### राजकोषीय स्थिति

41. अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्वयं के राजस्व में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप इस बजट में पूर्व वर्षों की भांति 2,959.26 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित किया गया है।

41.1 राज्य का सकल वित्तीय घाटा 4,623.27 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 2.82 प्रतिशत है तथा "राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम" में निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत से कम है। वित्तीय घाटे की पूर्ति ऋण लेकर की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि गत वर्ष की आर्थिक मंदी के बावजूद सकल वित्तीय घाटे को सीमित रखने में हम सफल रहे हैं।

41.2 वर्ष 2012-13 हेतु कुल प्राप्तियाँ 37,172.54 करोड़ तथा कुल व्यय 37,573.61 करोड़ अनुमानित किया गया है। इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 401.07 करोड़ का शुद्ध घाटा अनुमानित है। वर्ष 2011-12 के संभावित घाटा 2031.73 करोड़ को शामिल करते हुये वर्ष 2012-13 का कुल बजटीय घाटा 2432.80 करोड़ अनुमानित है। इस घाटे की पूर्ति वित्तीय अनुशासन तथा अतिरिक्त आय के संसाधन जुटाकर की जावेगी।

## भाग-तीन

42. अध्यक्ष महोदय, कर राजस्व के लिए हमारी सरकार की प्रारम्भ से ही यह नीति रही है कि कर की दरों में युक्तियुक्तकरण कर, कर प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाकर एवं कर प्रशासन को चुस्त किया जाकर ही राजस्व में वृद्धि की जाए। गत वर्षों के इन्हीं प्रयासों के कारण न केवल राज्य के राजस्व में निरन्तर वृद्धि हुई है, वरन् करदाताओं में स्व-प्रेरणा से कर अदायगी की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के व्यापार एवं उद्योग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। हमारी यही रणनीति आगे भी जारी रहेगी।

43. गत वर्ष हमने राज्य की वाणिज्यिक कर जांच चौकियों को प्रायोगिक तौर पर एक वर्ष के लिए समाप्त किया था, जिसका राजस्व पर कोई प्रतिकूल असर नहीं हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए जांच चौकी समाप्त किए जाने संबंधी व्यवस्था 31 मार्च, 2013 तक लागू रखी जायेगी।

### वेट एवं प्रवेश कर

44. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के किसानों, आम उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए वेट एवं प्रवेशकर में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है :-

- किसानों के हित में कृषि यंत्रों को वेट से मुक्त रखा गया है। इसी क्रम में शक्तिचलित थरहा लगाने की मशीन (ट्रांसप्लान्टर) पर प्रचलित वेट की दर 5 प्रतिशत को समाप्त कर इसे करमुक्त श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
- लालटेन पर प्रचलित वेट की दर 5 प्रतिशत को समाप्त कर इसे करमुक्त किया जाएगा।



- थैलीसीमिया से पीड़ित मरीजों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाईयों पर प्रचलित 5 प्रतिशत वेट को समाप्त कर करमुक्त किया जाएगा।
- प्रदेश के ग्रामीण अंचल की महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली राज्य में निर्मित 10 रुपये खुदरा मूल्य तक की नेल पालिश पर प्रचलित 5 प्रतिशत वेट को समाप्त कर इसे करमुक्त किया जाएगा।
- भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को वितरित की जाने वाली "फ्री-डेज" सेनेटरी पर प्रचलित वेट की दर 14 प्रतिशत को समाप्त कर इसे करमुक्त किया जाएगा।
- निःशक्तजनों के उपयोग में आने वाले मोटर वाहन का राज्य के बाहर से क्रय करने पर लगने वाला 10 प्रतिशत प्रवेश कर समाप्त किया जाएगा।

45. अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण संरक्षण तथा वैकल्पिक उर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वेट में निम्नानुसार राहत प्रस्तावित है :-

- प्रदेश में फ्लाइएश जनित प्रदूषण में कमी तथा वेस्ट मटेरियल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में फ्लाइएश ब्रिक्स को वेट से मुक्त किया जा चुका है। इसी क्रम में फ्लाइएश आधारित उद्योगों द्वारा निर्मित फ्लाइएश ब्लाक्स, होलो ब्रिक्स, पेवर्स, पेविंग ब्लाक्स पर प्रचलित 14 प्रतिशत वेट को समाप्त कर इन्हें कर मुक्त किया जाएगा।
- बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन पर प्रचलित 5 प्रतिशत वेट को समाप्त कर इसे कर मुक्त किया जाएगा।
- सौर-ऊर्जा जनित उपकरण एवं कम्पोनेन्ट पर प्रचलित वेट की दर 5 प्रतिशत को समाप्त कर इन्हें कर मुक्त किया जाएगा।

46. व्यापार विचलन को रोकने तथा आर्थिक मन्दी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय औद्योगिक ईकाइयों के लिए करों में निम्नानुसार राहत प्रस्तावित है :-

- आयरन एण्ड स्टील उद्योग में कच्चा माल के रूप में उपयोग होने वाले राज्य के भीतर क्रय किए गए आयरन ओर तथा कोयला पर प्रचलित प्रवेश कर की दर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत की जाएगी।
- प्रदेश के स्टील ट्यूब एवं पाईप निर्माताओं द्वारा अधिकांश विक्रय राज्य के बाहर किया जाता है जिस पर केन्द्रीय विक्रयकर की दर 2 प्रतिशत है किन्तु इन उद्योगों को कच्चा माल राज्य में 5 प्रतिशत वेट चुका कर क्रय करना पड़ता है, जिससे रिफण्ड की स्थिति निर्मित होती है। अतः इन ईकाइयों को घोषणा पत्र पर 2 प्रतिशत की रियायती दर से कच्चा माल आयरन एण्ड स्टील का क्रय किए जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- निर्माण हेतु उपयोग होने वाले पूंजीगत माल पर प्रचलित वेट की दर 5 प्रतिशत है। इसी क्रम में फ्लाइंग ब्रिक्स के निर्माण तथा पोल्ट्री एवं मधुमक्खी पालन उद्योग में लगने वाली मशीनरी एवं कम्पोनेन्ट पर प्रचलित वेट की दर 14 प्रतिशत को घटाकर 5 प्रतिशत करते हुए इसे पूंजीगत माल की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
- प्लाईवुड एवं लेमिनेट्स पर पड़ोसी राज्यों में कर की दर 5 प्रतिशत है। अतः व्यापार विचलन रोकने के उद्देश्य से युक्तियुक्तकरण करते हुए इन पर प्रचलित वेट की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जाएगी।
- वर्तमान में वेट लग चुके पुराने मोटर वाहनों के विक्रय पर पुनः वेट लगता है। इस विसंगति को दूर करने के लिए वेट लग चुके पुराने मोटर वाहनों के विक्रय को वेट से मुक्त किया जाएगा।
- उपरोक्त रियायतों से लगभग 15 करोड़ रुपये की राजस्व हानि अनुमानित है।



47. अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा कर प्रणाली में सरलीकरण तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की प्रक्रिया के अंतर्गत आन-लाईन रजिस्ट्रेशन, आन-लाईन रिटर्न, आन-लाईन सी फार्म तथा ई-पेमेन्ट की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। इसी अनुक्रम में मैं निम्नानुसार सरलीकरण प्रस्तावित करता हूँ :-

- वर्ष 2012-13 से व्यवसायों को आन-लाईन रिफण्ड देने की व्यवस्था लागू की जाएगी।
- प्रचलित व्यवस्था में 60 हजार रुपये से अधिक वार्षिक कर देय होने पर मासिक कर का भुगतान करना पड़ता है। छोटे व्यवसायों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से इसे बढ़ाया जाकर 2 लाख रुपये वार्षिक किया जाना प्रस्तावित है।
- वर्तमान में 5 लाख से अधिक वार्षिक कर देय होने पर ई-पेमेन्ट करना अनिवार्य है। वर्ष 2012-13 से समस्त मासिक करदाताओं के लिए ई-पेमेन्ट अनिवार्य किया जाएगा।
- वर्तमान में 40 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसायी के लिये ई-रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वर्ष 2012-13 से समस्त पंजीकृत व्यवसायों द्वारा ई-रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाएगा।

48. केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने से राज्य को प्रति वर्ष लगभग 700 करोड़ की राजस्व हानि हो रही है। केन्द्र सरकार द्वारा इस हानि की प्रतिपूर्ति करने का वादा किया गया था, लेकिन वर्ष 2011-12 से राज्यों को इस बाबत हुई क्षतिपूर्ति नहीं दी जा रही है। इससे वर्ष 2012-13 में प्रदेश को लगभग 900 करोड़ की राजस्व हानि संभावित है।

प्रतिपक्ष में बैठे मित्रों की केन्द्र में सरकार है। मेरा उनसे आग्रह है कि अपने प्रभाव का उपयोग करते हुये राज्य को केन्द्र सरकार से क्षतिपूर्ति दिलाने में मदद करें।

49. केन्द्र सरकार द्वारा कपड़ा एवं शक्कर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त किया जाकर इससे राज्यों को मिलने वाले हिस्से की क्षतिपूर्ति इन पर वेट लगाकर करने हेतु कहा गया है। प्रदेश के पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार आदि द्वारा कपड़ा एवं शक्कर पर 5 प्रतिशत वेट लगाया जा चुका है। प्रदेश के आम उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुये मैं कपड़ा एवं शक्कर पर अगले वित्तीय वर्ष हेतु केवल 1 प्रतिशत की दर से वेट आरोपित किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इससे लगभग 8 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

50. अध्यक्ष महोदय, हमने सभी वर्गों के विकास के लिये भरपूर ध्यान दिया है। इस बजट में जो प्राथमिकतायें तय की गई हैं, उन पर अमल करने के लिये परिणाममूलक, समयबद्ध कार्यक्रम तय किये जायेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी के सहयोग से हमारा राज्य विकास के नये शिखर छूने में कामयाब होगा। इस अवसर पर मुझे दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं :-

“मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर,  
लंबी राह नहीं कर सकती, हमें कभी मजबूर।”

51. इसी के साथ मैं वर्ष 2012-13 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।